



## प्रभारी जिला जज, डीएम, एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण साफ-सफाई एवं बीमार बंदियों के उपचार के संबंध में दिए दिशा-निर्देश



जन एक्सप्रेस | उर्द्ध

गुरुवार को प्रभारी जिला न्यायाधीश, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरकों की तलाशी तथा परिसर, कार्यालय व मेस आदि की साफ-सफाई का जायजा लिया गया। जिलेके बाद बंदियों की समस्याओं को सुनकर कर्मवाई के निर्देश दिए।

प्रभारी जिला न्यायाधीश शिवकुमार, डीएम राजेश बाबर पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डा इरजन राजा तथा न्यायिक मिस्ट्रेट अधिकारी खरे ने संयुक्त रूप से जिला कारागार पहुंचकर निरुद्ध बंदियों के समस्याओं को सुनते हुए आवश्यक कर्मवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता एवं कारागार की

अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बंदियों को उचित उपचार देने को कहा। हास्पिटल, बैरेक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की गई। इसके बाद कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिवादित सामग्री ना जाने पाए। सभी कार्यालयों का निर्वाचन सही तरीके से करें। जेल परिसर में साफ-सफाई को लेकर कारागार कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक नीरज देव, कारापाल प्रीतप कुमार, उपकारापाल अमर सिंह, चिकित्साधिकारी डॉक्टर राहुल बर्मन समेत जेल के अन्य सफाई बंदियों के समस्याओं को सुनते हुए आवश्यक कर्मवाई के निर्देश दिए।

डीएम ने नवनिर्मित सड़क मार्ग का किया औचक निरीक्षण



जन एक्सप्रेस | उर्द्ध

जिलाधिकारी राजेश कृष्णपाल ने 50 लाख से ऊपर की परियाजनाओं की आज लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ड्राइव बनाई गई विकास खण्ड डिकोर के अमरोट से धुरट नवनिर्मित सड़क मार्ग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक अधिकारी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने बताया कि अमरोट से ऊपर सड़क मार्ग लगभग 3.6 किलोमीटर का निर्माण 2.21 करोड़ की धनराशि से किया गया है। जिलाधिकारी ने संपर्क मार्ग के सड़क की खुदाई कराकर सड़क में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराई। जिसमें जेपसी का कॉम्पेक्सन नहीं पाया गया। सड़क निर्माण में मानक व गुणवत्ता की परिलक्षित होने पर सहायक अधिकारी प्रांतीय खंड ड्राइव बनाई गई। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग में यदि मानकों की अनेकरेती व गुणवत्ता में खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठीनी की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवकुमार लिंगपत्री, अधिषंखासी अधिकारी शिवकुमार खण्ड-3 महेंद्र, अधिषंखासी अधिकारी शैलेन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी ब्रजकिशोर कुशवाहा आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

फांसी लगाकर की आत्महत्या जन एक्सप्रेस/उर्द्ध। कर्खा आटा में युक्त ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुनापा पर पहुंचने पर लेकर पाठमार्टम के लिए भेज दिया। कर्खा आटा नियासी कमलश वाला पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पाठमार्टम के लिए भेज दिया। कर्खा आटा नियासी कमलश वाला पुलिस पर पहुंचने पर लेकर पाठमार्टम के लिए भेज दिया।

कालपी कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते में लगने वाले भाई बहन ने प्रेम प्रसंग के चलते देने से कट कर अपने जीवन लीला कर ली। सुनापा पर पहुंचने पर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरतीली निवासी बुजलाल अविवाहित की जीवनी के सुखागल के ग्राम हिंदूपुर में थी। इस कारण मौजूदी कर अपने परिवार का ग्राम पोंग करता रहता था। परिजनों ने बताया कि कमलश मजदूरी कर अपने परिवार का ग्राम पोंग करता रहता था। फिलहाल अपनी बेटी 19 वर्षीय दीशा गौतम से मेलजोल बढ़ गया। बताया गया कि दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। दीशा बाद में उर्द्ध के मुहाली सुशील नारायण के द्वारा हैदराबाद व नितिन मुंबई में ट्रक बालने का काम करता है।

## डीएम की अध्यक्षता में हुआ नए कानून प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

जन एक्सप्रेस | चित्रकूट

नवांगतुक जिलाधिकारी शिवकुमार जी एकी अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्व अधिकारियों को नई अपराधिक विधियों के बारे में प्रशिक्षण शिविर, कार्यशाला का आयोजन कलेक्टरेट सभागार में किया गया।

कार्यशाला में प्रभारी संयुक्त निदेशक अधियोजन दिनेस त्रिपाटी ने बताया कि भारतीय व्याय संहिता में जिसमें तीन दोस्री लोक विधियों के बारे में साध्यों के साथ इसी कार्यशाला राजस्व अधिकारी शिविर के बीच जीवनांश में लेकर धारणा की तलाव के लिए थे। आज बैठने के लिये ग्राहकों की तलाव में ले जा रहे थे। घटना में प्रयोग किये गये दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान कोतवाली कर्मी उन निरीक्षक राजीव सिंह, उप मंत्रिकार गहुल के लिए आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि आज बैठने के लिये जीवनांश में लेकर धारणा की तलाव के लिए थे। आज बैठने के लिये ग्राहकों की तलाव में ले जा रहे थे। घटना में प्रयोग किये गये दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान कोतवाली कर्मी उन निरीक्षक राजीव सिंह, उप मंत्रिकार गहुल के लिए आगे बढ़ाया गया है।

उन्होंने अपराधों से सम्बन्धित उपर्युक्तों में निरिक्षित नियमों के विषयों में विविध धाराओं के साथ धनराशि विकास अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी की अध्यक्षता के दौरान आशा कार्यकारी द्वारा आयोजित जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। इस मौके पर धारणा की तलाव के लिए आगे बढ़ाया गया है।

जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

जिलाधिकारी ने दीसीएम वालन तथा कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

&lt;p



















